राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

क्रमांक–प.104/नि.अ.मा.वि./अ.प्रमाण पत्र/2016/12283 जयपुर, दिनांक: 14.08.2017

अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र दिशा–निर्देश

राजस्थान सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं:–?

A. **अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र** :– अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र से तात्पर्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के लिये समय–समय पर जारी किये गये गजट नॉटिफिकेशन/अधिसूचनाओं में शामिल समुदाय/वर्ग को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किये गये प्रमाण पत्र से है।

B. **अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी:–** अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये जायेंगे।

C. **अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया:–**

(अ) **आवेदक**

1. **राजस्थान राज्य का मूल निवासी** :– ऐसा व्यक्ति जो अल्पसंख्यक वर्ग का राजस्थान का मूल निवासी हो।

2. **अन्य राज्यों से माईग्रेट होकर आये व्यक्तियों के संबंध में** :– यदि आवेदक मूल रूप से राजस्थान राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य का निवासी है तथा माईग्रेट होकर रोजगार आदि प्राप्त करने के लिए राजस्थान राज्य में स्थायी रूप से निवास कर रहा है तथा यहीं से मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, तो उस व्यक्ति की संतान को राजस्थान राज्य में जन्म के आधार पर अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन हेतु पात्र होगी।

(ब) **आवेदन का प्रारूप एवं सलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :–**

1. अल्पसंख्यक हेतु आवेदन परिशिष्ट "अ" अनुसार।

(स) **संलग्न दस्तावेज सूची:–**

1. आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड/राशन कार्ड/मतदाता सूची/अचल सम्पति के मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज/किराया नामा/गैस कनेक्शन/बिजली, पानी एवं टेलीफोन बिल/शिक्षा प्रमाण पत्र।

(द) **रिकॉर्ड**

1. पिता की अल्पसंख्यक जाति का साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र (अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो, तो) भूमि की जमा बन्दी, आय प्रमाण पत्र हेतु (जिनके पास आई.टी.आर. एवं राज्य/केन्द्रीय अधिकारी/कर्मचारी की वेतन पत्र/ पे स्लीप नहीं है तो निर्धारण प्रमाण पत्र में दो अलग–अलग राज्य/केन्द्रीय अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।) आयकर रिटर्न संबंधी दस्तावेज/मूल निवास प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र जिसमें अल्पसंख्यक जाति का उल्लेख हो यदि उपलब्ध हो, तो आवेदन पत्र के साथ सलग्न किया जायेगा।

2. अल्पसंख्यक के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा देय साक्ष्य के अनुसार उत्तरदायी व्यक्ति से आशय संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/राजकीय अधिकारी–कर्मचारी/जिला प्रमुख/ प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/ग्राम सेवक/पटवारी/महापौर (सचिव)/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/स्कूल के हैड मास्टर/संबंधित पी.एच.सी/सी.एस.सी/बी.डी.ओ. /सहायक अभियंता से है।

3. आवेदन पत्र में आवेदक के पास आधार नम्बर/भामाशाह कार्ड होने की स्थिति में उक्त नम्बर का अंकन किया जाना आवश्यक होगा। यदि आवेदक परिवार का मुखिया नहीं है एवं उसके परिवार के मुखिया को जारी किये गये भामाशाह कार्ड में उसका अंकित है तो मुखिया को जारी भामाशाह कार्ड की प्रति लगानी आवश्यक होगी।

D. **आवेदन जांच एवं आवेदन पत्र तथा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूपः–**

1. सक्षम अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कार्मिक यथा पटवारी/गिरदावर/तहसीलदार आदि से सन् 1957 में आवेदक के पैतृक/स्वयं के राजस्व रिकार्ड में चार पीढी की सजरा व गंवाई दस्तूर दस्तावेज आदि में उसके अल्पसंख्यक जाति/समुदाय का परीक्षण करवाया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यक हो, तो शैक्षणिक रिकॉर्ड/नगरपालिका/ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड की भी जांच/परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जा सकेगा जिसमें उसके स्वयं/पैतृक जाति की पुष्टि होती हो। परीक्षण उपरांत अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी द्विभाषा में एक साथ ही जारी किया जायेगा।

E. **अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र की संशोधित एवं दोहरी प्रतिः–** सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में दुबारा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

1. प्रमाण पत्र गुम हो जाने, कट–फट जाने या खराब हो जान पर दोहरी प्रति (डुप्लीकेट कॉपी) जारी की सकेगी।
2. नाम बदलने पर संशोधन प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।
3. यदि प्रमाण पत्र जारी करने वाला सक्षम अधिकारी आवेदक के आवेदन को किसी कारण से खारिज/निरस्त करता है तथा आवेदक यह महसूस करता है कि उसका आवेदन पत्र एवं उसके साथ समस्त संलग्न दस्तावेज सत्य है तथा वह उक्त अल्पसंख्यक

प्रमाण पत्र के लिए जिला स्तरीय अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र छानबीन एवं सतर्कता समिति के अध्यक्ष को लिखित में समस्त साक्ष्यों सहित आवेदन कर सकेगा। जिला स्तरीय समिति उक्त आवेदन पत्र का गहनता से जांच/परीक्षण कर यदि समिति का निष्कर्ष रहता है कि आवेदक का आवेदन पत्र सही है, तो यह संबंधित सक्षम अधिकारी को नियमानुसार अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र निर्देश दे सकेगी एवं यदि आवेदन पत्र खारिज योग्य पाया जाता है, तो उसे समिति द्वारा निरस्त कर दिया जावेगा परन्तु निरस्त का आदेश कारणों सहित जारी किया जायेगा।

F. अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र की वैधता अवधि:–

1. अल्पसंख्यक के लिये जारी किये गये अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यन्त होगी। अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जायेगा।

G. अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र का सत्यापन:–

1. अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदक को प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् यदि आवेदक द्वारा उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर किसी प्रकार की रियायत प्राप्त की गई हो, तो संस्थान नियोक्ता या अन्य किसी प्राधिकरण द्वारा उक्त अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के सत्यापन करवाये जाने की स्थिति में जिला कलेक्टर से उक्त अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र को सत्यापन कराया जा कर सत्यापन रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी को उसके वांछितनुसार भिजवाई जा सकेगी। उक्त सत्यापन 6 माह में आवश्यक रूप से भिजवाई जानी होगी। यदि कोई प्रकरण सतर्कता समिति एवं छानबीन समिति में विचाराधीन है तथा उसमें अंतिम निर्णय में विलम्ब हो रहा तथा संस्था/नियोक्ता के यहा पर निर्धारण अंतिम तिथि निकल गई होतो संस्था/नियोक्ता द्वारा अस्थायी प्रवेश/ नियुक्ति दी जायेगी तथा यह प्रवेश/ नियुक्ति छानबीन समिति के निर्णय के अधिन रहेगी।

H. जिला स्तरीय अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र छानबीन स्थाई सतर्कता समिति :–

अल्पसंख्यक वर्ग के शंकास्पद, फर्जी अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी होने की स्थिति में एवं अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के परीक्षण/ जांच हेतु प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र छानबीन स्थाई सतर्कता समिति का गठन प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 6 (26) प्र.सु./अनु.–3/2017 दिनांक 11–8–2017 द्वारा किया गया है (संलग्नक–1), जो कि निम्न प्रकार है:–

1.	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त जिला कलेक्टर– राजस्व	समन्वयक
3.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन प्रभारी अधिकारी (माडा) जिला परिषद	सदस्य
4.	संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट/ उपखण्ड अधिकारी	सदस्य
5.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	सदस्य

उपरोक्त समिति में फर्जी एवं शकास्पद अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों के मामले दर्ज किये जा सकेंगे तथा समिति जारी किये गये अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों की अपने स्तर पर परीक्षण करेगी। परीक्षण उपरांत सत्यता का निष्कर्ष सहित अपना निर्णय लिया जाकर अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र की वैधता/ अवैधता के संबंध में समुचित आदेश दो माह में जारी करेगी। संबंधित पक्षों को उक्त निर्णय की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा अधिकतम एक माह में दी जावेगी। नाबालिग की स्थिति में उसके माता–पिता/ संरक्षक को सूचना प्रेषित की जावेगी। यदि उक्त अवधि में निर्णय नहीं किया जा सकता है, तो उसके कारणों का अंकन किया जाना आवश्यक होगा तथा निर्णय की सूचना शैक्षणिक संस्था/ नियोक्ता को भी तत्काल दी जावेगी।

अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र की सत्यता का परीक्षण करते समय संबंधित पक्षों तथा शिकायत कर्ता एवं जिसका अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र है उसको अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी किया जावेगा। नाबालिग की स्थिति में उसके माता– पिता/ संरक्षक को ऐसे नोटिस जारी किये जा सकेंगे।

जिला समिति के निर्णय के विरूद्व राज्य स्तरीय स्थाई छानबीन एवं सतर्कता समिति में अपील :–

अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र शिकायतकर्ता के संबंध में एवं वह पक्ष जिसके विरूद्व शिकायत की गई है, जिला स्तरीय समिति के निर्णय से असंतुष्ट होने पर राज्य स्तरीय छानबीन समिति में जिला समिति के निर्णय दिनांक से 30 दिवस में अपील की जा सकेगी।

शंकास्पद/ फर्जी अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों को जारी होने तथा दुरूपयोग करने के प्रकरणों को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय स्थाई छानबीन एवं सतर्कता समिति का गठन इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 104/नि.अ.मा.वि./अ.प्रमाण पत्र/2016/12074 दिनांक 10–08–2017 द्वारा किया गया है (संलग्नक–2), जो निम्न प्रकार है:–

1.	प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग	अध्यक्ष
2.	आयुक्त/ निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग	सदस्य
3.	अतिरिक्त निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग	सदस्य
4.	उपनिदेशक (प्रथम) अल्पसंख्यक मामलात विभाग	संयोजक
5.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (संबंधित)	सदस्य

उक्त राज्य स्तरीय स्थाई छानबीन एवं सतर्कता समिति जिला स्तरीय अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र छानबीन स्थाई सतर्कता समिति से प्राप्त निर्णय के विरूद्ध अपील दायर होने पर युक्तियुक्त समन्वय उक्त अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के संबंध में जिला स्तरीय समिति के निर्णय का परीक्षण करेगी तथा आवश्यक होने पर अपने स्तर पर पुनः संबंधित प्रकरण यथा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये साक्ष्य/दस्तावेज एवं जिला स्तर पर की गई जांच रिपोर्ट का परीक्षण कर अपने स्तर पर निर्णय करेगी। राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा यदि यह पाया जाता है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय उचित है तो अपील को राज्य स्तरीय समिति द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं ज़िला स्तरीय समिति का निर्णय अनुचित पाये जाने पर राज्य स्तरीय स्थाई छानबीन एवं सतर्कता समिति द्वारा उक्त प्रमाण पत्र के संबंध में उचित आदेश जारी किया जा सकेगा, जिसकी पालना के लिए अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने वाला सक्षम प्राधिकरण बाध्य होगा एवं इस निर्णय को केवल माननीय उच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकेगी। छानबीन समिति द्वारा पारित किये गये निर्णय को नियोक्ता को तत्काल निर्णय से अवगत कराया जाऐगा।

I. **फर्जी अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों के संबंध में दण्डात्मक कार्यवाही:–**

किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये गये अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के संबंध में जांच के पश्चात यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर अल्पंसख्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो उसके विरूद्ध आवश्यक रूप से कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा यदि निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों का उल्लंघन करके अवैध प्रमाण पत्र जारी किया है, तो उन दोषी कार्मिकों/प्राधिकारियों के विरूद्ध भी आवश्यक रूप से कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

J. **रिकार्ड संधारण:–**

1. अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो कि व्यक्ति के पूर्वजो एवं भावी पीढी की पहचान का आधार होता है। अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के संबंध में प्रत्येक तहसील कार्यालय में एक संकलित स्थायी रजिस्टार का संधारण करते हुए उक्त समस्त रिकॉर्ड साफ सुथरे एवं अच्छी सुरक्षा में रखे जायेंगे तथा उक्त अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों का आजीवन स्थायी रिकॉर्ड संधारित किया जायेगा। उक्त रिकॉर्ड निरीक्षण के लिए सदैव उपलब्ध करवाये जायेंगे।

2. रिकॉर्ड रख–रखाव अवधि

(अ) जारी किये गये अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों का एक संकलित रजिस्टर/रिकॉर्ड संधारित किया जायेगा, जो कि स्थायी रूप से आजीवन रहेगा।

(ब) अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों की एक प्रति कार्यालय रिकॉर्ड में रखी जायेगी तथा उसकी रख–रखाव की अवधि न्यूनतम 30 वर्ष होगी।

K. **ऑनलाईन्स आवेदन:–** अल्पसंख्यक के आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में समस्त दस्तावेजों सहित सम्पूर्ण राज्य में कार्यरत ई–मित्र केन्द्रों (एकीकृत नागरिक सेवा केन्द्र) एवं जिले में नेशनल ई गवर्नेन्स प्लान के तहत स्थापित जाने वाले सी.एस.सी. केन्द्रो (एकीकृत नागरिक सेवा केन्द्र) के माध्यम से अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जायेगा। सभी अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वेबसाईट से ऑनलाईन जारी किये जायेंगे। आवेदन पत्र में आवेदक के पास आधार नम्बर/भामाशाह कार्ड होने की स्थिति में उक्त नम्बर का अंकन किया जाना भी आवश्यक होगा। यदि आवेदक परिवार का मुखिया नहीं है एवं उसके परिवार के मुखिया को जारी किये गये भामाशाह कार्ड में उसका नाम अंकित है, तो मुखिया को जारी भामाशाह कार्ड की प्रति लगानी आवश्यक होगा।
उक्त दिशा–निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(श्रेया गुहा)
शासन सचिव

क्रमांक–प.104/नि.अ.मा.वि./अ.प्रमाण पत्र/2016/12284-334 जयपुर, दिनांक: 14.08.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान।
8. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा कर्मचारी चयन आयोग, दुर्गापुरा, जयपुर।
9. सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. समस्त संभागीय आयुक्त।
12. समस्त जिला कलक्टर.।
13. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
14. सचिव, समस्त आयोग/बोर्ड.।
15. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
16. अतिरिक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
17. सहायक निदेशक (चतुर्थ) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।

(प्रतिभा पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

संलग्नक -1

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग

क्रमांक: प.6(26)प्र.सु./अनु.–3/2017 जयपुर, दिनांक : 11-8-2017

आदेश

अल्पसंख्यक समुदाय को जारी किये गये प्रमाण पत्रों के संबंध में प्राप्त शिकायतों का परीक्षण उपरान्त प्रमाण–पत्रों की वैधता/अवैधता सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नानुसार **जिला स्तरीय अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र छानबीन स्थाई सतर्कता समिति** का गठन किया जाता है:–

1. जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2. अतिरिक्त जिला कलेक्टर– राजस्व	समन्वयक
3. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन प्रभारी अधिकारी (माडा) जिला परिषद	सदस्य
4. संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी	सदस्य
5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	सदस्य

जिला स्तरीय अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र छानबीन स्थाई सतर्कता समिति के कार्य एवं शक्तियाँ

1. समिति की बैठक प्रतिमाह आवश्यक रूप से की जावेगी तथा समिति में जो भी मामले प्राप्त होंगे उन सब मामलों का एक रजिस्टर में नियमित रूप से संधारण किया जावेगा। समिति की बैठक आयोजित करने के लिये अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजस्व (समन्वयक) प्रभारी अधिकारी होगें।
2. समिति में झूठे, फर्जी एवं शंकास्पद अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्रों के मामले दर्ज किये जा सकेंगे तथा समिति जारी किये गये अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्रों का अपने स्तर पर परीक्षण करेगी तथा परीक्षण उपरान्त सत्यता का निष्कर्ष सहित अपना निर्णय लिया जाकर अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र की वैधता/अवैधता के संबंध में समुचित आदेश दो माह में जारी करेगी। उक्त निर्णय की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा अविलम्ब संबंधित पक्षों को दी जावेंगी। नाबालिग की स्थिति में उसके माता–पिता/ संरक्षक को सूचना प्रेषित की जावेगी। यदि उक्त अवधि में निर्णय नहीं किया जा सकता है तो उसके कारणों का अंकन किया जाना आवश्यक होगा।
3. अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों की सत्यता का परीक्षण करने के समय संबंधित पक्षों यथा शिकायतकर्ता एवं जिसका अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र है उसको अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी किये जा सकेंगे।
4. अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के संबंध में शिकायतकर्ता एवं वह पक्ष जिसके विरूद्ध शिकायत की गयी है जिला स्तरीय अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र छानबीन स्थाई सतर्कता समिति के निर्णय से असंतुष्ट होने पर वह राज्य स्तरीय स्थाई छानबीन एवं सतर्कता समिति में जिला स्तरीय अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र छानबीन स्थाई सतर्कता समिति के निर्णय दिनांक से 30 दिवस में अपील की जा सकेगी। राज्य स्तरीय स्थाई छानबीन एवं सतर्कता समिति का गठन राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.104/नि.अ.मा.वि./अ.प्रामण पत्र/2016/12074 दिनांक 10.08.2017 द्वारा किया गया है।
5. शंकास्पद प्रमाण पत्रों की छानबीन करना, सुनवायी करना, प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्यवाही करना।
6. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करना।

7. गैरकानूनी प्रमाणपत्र धारण करने के कारण जिसे सजा हुई हो उस उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैरलायक (Unfit) घोषित करना।
8. गलत प्रमाण पत्र के मामले में नियोक्ता/शैक्षिक संस्थाओं के संस्था प्रधान को इसके बारे में जानकारी देकर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के आदेश करना।

11/8

(डॉ० प्रेम सिंह चारण)
उप शासन सचिव

क्रमांक: प.6(26)प्र.सु./अनु.–3/2017

जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. अध्यक्ष राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
5. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर।
10. सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. समस्त संभागीय आयुक्त।
12. समस्त जिला कलक्टर।
13. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक ।
14. सचिव, समस्त आयोग/बोर्ड...।
15. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
16. अतिरिक्त निदेशक/उप निदेशक–प्रथम, द्वितीय/सहायक निदेशक–प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ, अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
17. सहायक निदेशक (चतुर्थ) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
18. रक्षित पत्रावली (संदर्भ सं. क्रमांक प.104/नि.अ.मा.वि./अ.प्रमाण पत्र/2016/ 12074)।

11/8/17

(के.के.खण्डेलवाल)
अनुभागाधिकारी

संलग्नक -2

राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

क्रमांक–प.104/नि.अ.मा.वि./अ.प्रमाण पत्र/2016/12074 जयपुर, दिनांक: 10.08.2017

आदेश

अल्पसंख्यक समुदाय/वर्ग को जारी किये गये प्रमाण पत्रों के संबंध में जिला स्तरीय समिति के निर्णय के विरूद्ध प्राप्त अपीलों का निस्तारण किये जाने हेतु **राज्य स्तरीय स्थाई छानबीन एवं सतर्कता समिति** का गठन निम्नानुसार किया जाता है:–

1.	प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग	अध्यक्ष
2.	आयुक्त/निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग	सदस्य
3.	अतिरिक्त निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग	सदस्य
4.	उपनिदेशक (प्रथम), अल्पसंख्यक मामलात विभाग	संयोजक
5.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (संबंधित)	सदस्य

राज्य स्तरीय स्थाई छानबीन एवं सतर्कता समिति के कार्य :-

राज्य स्तरीय स्थाई छानबीन एवं सतर्कता समिति के निम्न कार्य होंगे:–

1. अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में समय–समय पर नीति निर्धारित करना तथा उसमें परिवर्तन करना।
2. शंकास्पद प्रमाण पत्रों की छानबीन करना, सुनवाई करना, प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्यवाही करना।
3. गैरकानूनी प्रमाण पत्र धारण करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करना।
4. गैरकानूनी प्रमाण पत्र धारण करने के कारण जिसे सजा हुई हो उस उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैरलायक (Unfit) घोषित करना।
5. गलत प्रमाण पत्र के मामले में नियोक्ता/शैक्षिक संस्थाओं के संस्था प्रधान को इसके बारे में जानकारी देकर संबंधित व्यक्ति को वर्तमान पद से बर्खास्त करने के आदेश करना।
6. विश्लेषण समिति के कार्यक्षेत्र में आनेवाली अन्य प्रवृतियाँ।
7. शंकास्पद अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू करके अन्तिम निर्णय करना।

राज्य स्तरीय स्थाई छानबीन एवं सतर्कता समिति की शक्तियां :–

1. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग के व्यक्तियों के लिए शंकास्पद/फर्जी एवं अनाधिकृत रूप से जारी अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों की छानबीन करके उसे यथावत रखने या रद्द करने की संपूर्ण शक्तियां समिति को होगी।
2. अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग के व्यक्तियों के लिए जारी अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के संबंध में समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी रहेगा। यह निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद–226 के प्रावधान के तहत की गई कार्यवाही के अध्याधीन होगा। माननीय उच्च न्यायालय ऐसे प्रकरणों का निस्तारण जहां तक संभव हो यथाशीघ्र करेगा, जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में अपील नहीं की जा सकेगी। परन्तु संविधान के अनुच्छेद–136 के अध्याधीन प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की जा सकेगी।
3. शंकास्पद प्रमाणपत्रों के मामले में बचाव का उचित मौका देना होगा।
4. बचाव की समय–अवधि में बढोत्तरी की जा सकती है।
5. पेश किये गये आधार/ प्रमाण अमान्य करना।

6. गलत प्रमाणपत्र धारण करने के मामले को नैतिक अधःपतन मानकर ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को चुनाव में उम्मीदवारी दर्ज करने से गैरलायक (Unfit) घोषित करना।
7. सजा के लिये कानूनी शिकायत दर्ज करवाना।

जो प्रमाण पत्र राज्य स्तरीय स्थाई छानबीन एवं सतर्कता समिति के समक्ष छानबीन हेतु प्रस्तुत किये जायें, उनका निस्तारण छानबीन समिति यथासंभव शीघ्र किन्तु अधिकतम दो माह की अवधि में करेगी। यदि किसी मामले का निपटारा दो माह की अवधि में नहीं हो सकता हो तो छानबीन समिति उक्त अवधि के कारण अभिलिखित करते हुए अधिकतम छः माह तक और बढा सकेगी।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग अल्पसंख्यक मामलात विभाग होगा।

(श्रेया गुहा)
शासन सचिव

क्रमांक–प.104/नि.अ.मा.वि./अ.प्रमाण पत्र/2016/12075-93 जयपुर, दिनांक: 10.08.2017

प्रतिलिपि निम्न को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. अध्यक्ष राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
5. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा कर्मचारी चयन आयोग, दुर्गापुरा, जयपुर।
13. समस्त संभागीय आयुक्त।
14. समस्त जिला कलक्टर।
15. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
16. सचिव, समस्त आयोग/बोर्ड.....।
17. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग.।
18. अतिरिक्त निदेशक/उप निदेशक–प्रथम, द्वितीय/सहायक निदेशक–प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ, अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
19. सहायक निदेशक (चतुर्थ) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
20. रक्षित पत्रावली।

नोटः भविष्य में समिति से संबंधित पत्र व्यवहार अल्पसंख्यक मामलात विभाग से करें।

(प्रतिभा पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

टोकन नम्बर (16 अंको का) .....

राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आवेदन पत्र

कोर्ट फीस स्टाम्प
2/– रूपया

1. आवेदक सम्बन्धी आवश्यक सूचना (वैकल्पिक बिन्दु को √ से चयन करें)

प्रार्थी का फोटो
(पासपोर्ट साईज)
(अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से फोटो सत्यापित करावें)

1 प्रार्थी का नाम* :–

2 पिता का नाम* :–

3 निवास स्थान का पूर्ण पता*
(क) वर्तमान पता :–

(ख) स्थाई पता :–

4 गाँव/शहर *: तहसील*:– जिला*:–

5 जन्म दिनांक : ____/____/_____ जन्म स्थान*:– उम्र*

6 लिंग* :– पुरूष महिला वैवाहिक स्थिति :– विवाहित अविवाहित

7 वर्ग/समुदाय (आवेदक)*:– (मुस्लिम/ईसाई/सिख/बौद्व/पारसी/जैन)

8 वर्ग/समुदाय (पिता का)*:–

9 प्रार्थी ने शिक्षा, व्यवसाय आदि में किस जाति धर्म का अंकन कर रखा है :

10 क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है* ? हाँ नहीं

11 मोबाईल नम्बर (जिस पर प्रार्थी आवेदन से संबन्धित एस.एम.एस. द्वारा सूचना चाहता है)

मैं तस्दीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास मे सही है।

दिनांक : / /

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर*

---

2. हल्का पटवार जाँच रिपोर्ट*

श्रीमान् मुताबिक जाँच, गवाहों एवं शपथ पत्र के आधार पर आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पुत्री श्री निवासी

के/की हैं। यह **अल्पसंख्यक समुदाय** के वर्ग/समुदाय के/की सदस्य हैं।

प्रार्थी का राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र नम्बर दिनांक ____/____/_____

हस्ताक्षर पटवारी
हल्का .....

** जो लागु नही हो, काट दे।
* स्टार लगे हुए कॉलम भरना आवश्यक है।

3. **प्रमाण–पत्र**

(i) गवाह* :

मैं _____ पुत्र/पुत्री श्री _____

निवासी _____

विभाग का नाम _____ पद _____ पर कार्यरत

हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया _____ पुत्र/पुत्री श्री _____

निवासी _____

को गत _____ वर्षो से भली प्रकार से जानता हूँ यह **अल्पसंख्यक समुदाय** के वर्ग/समुदाय _____

के/की सदस्य है, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(ii) गवाह* :

मैं _____ पुत्र/पुत्री श्री _____

निवासी _____

विभाग का नाम _____ पद _____ पर कार्यरत

हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि,

प्रार्थी/प्रार्थीया _____ पुत्र/पुत्री श्री _____

निवासी _____

को गत _____ वर्षो से भली प्रकार से जानता हूँ यह **अल्पसंख्यक समुदाय** के वर्ग/समुदाय _____

के/की सदस्य है, तथा उनके द्वारा संलग्न बयान मेरे समक्ष दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

---

4. नोट :– आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न करे :–

आवेदक की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकाएं (स्टेपल नहीं करना है) तथा उसे अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करावें।

आवेदन पत्र में दिये गये **शपथ पत्र** को अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति (**राजपत्रित अधिकारी**)/नोटरी पब्लिक/मजिस्ट्रेट से सत्यापित करावें।

मूल निवास प्रमाण पत्र,, शिक्षा प्रमाण–पत्र, राशन कार्ड एंव फोटो पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति।

दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र यथा – संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/राजकीय अधिकारी–कर्मचारी/जिला प्रमुख/प्रधान/जिलापरिषद सदस्य/सरपंच/ग्राम सेवक/पटवारी/महापौर(सचिव)/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/स्कूल के हैड मास्टर/संबधिति पी.एच.सी./सी. एच.सी. के डॉक्टर /बी.डी.ओ./सहायक अभियन्ता।

** जो लागु नही हो, काट दे।

* स्टार लगे हुए कॉलम भरना आवश्यक है।

5. **शपथ–पत्र***

मैं _____ पुत्र / पुत्री श्री _____

निवासी _____

गाँव / शहर _____ तहसील _____ जिला _____

राजस्थान का / की हूँ। मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि –

(1) मैं राजस्थान के **अल्पसंख्यक समुदाय** की वर्ग / समुदाय _____ का / की सदस्य हूँ।

(2) यह कि मैं एवं मेरा परिवार जन्म से ही वर्ग / समुदाय _____ के हैं। मेरा जन्म दिनांक _____ को स्थान _____ में हुआ था तथा जन्म के उपरान्त मैनें आज तक किसी भी प्रकार से धर्म परिवर्तन नहीं किया है।

(3) यह कि मैं भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.1 / 11 / 93 एम.सी.(डी) दिनांक 23–10–1993 के द्वारा अधिसूचित राजस्थान राज्य के लिये अल्पसंख्यक वर्ग / समुदाय _____ की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से _____ वर्ग / समुदाय के / की सदस्य / सदस्या हूँ व मूलरूप से जिले _____ **राजस्थान** का / की स्थाई निवासी हूँ।

(4) मैं उपरोक्त प्रकरणो की साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण / साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूँ।

(5) मैं राजस्थान राज्य का / की मूल निवासी हूँ तथा मै अपने परिवार के साथ उक्त पते पर निवास कर रहा / रही हूँ।

(6) यह कि मैने किसी भी जिला / प्रदेश / तहसील / उपखण्ड से **अल्पसंख्यक समुदाय** का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है।

(7) यह कि यह शपथ पत्र मैं, अपने नाबालिग पुत्र / पुत्री _____ के नाम का अल्पसंख्यक समुदाय _____ का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं _____ उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता / करती हूँ कि शपथपत्र में अंकित समस्त इबारत मेरी जानकारी में सही व सत्य है इसमें कुछ भी नहीं छिपाया है। ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

(अभिशंषा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

** जो लागु नही हो, काट दे।

* स्टार लगे हुए कॉलम भरना आवश्यक है।